छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
डब्ल्यू ए नं. 81 /2022

बाली नागवंशी आ. श्री बटर नागवंशी,
उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी मकान
नं. 87, सन सिटी, जगदलपुर
जिला बस्तर (छ.ग.)

..... **अपीलकर्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव,
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

2. डॉ. अयाज तंबोली,
कलेक्टर, पूर्व कार्यालय जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)

3. पुलिस स्टेशन कोतवाली,
जगदलपुर द्वारा स्टेशन हाउस
अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

4. बैंक ऑफ बड़ौदा, द्वारा
शाखा प्रबंधक, शाखा जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)

5. भारत संघ, द्वारा सचिव
रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली– 1

6. बस्तर रेलवे प्रायवेट लिमिटेड
(एन एम डी सी का संयुक्त उद्यम
इरकॉन, सेल और सी एम डी सी)
द्वारा– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
कार्यालय ग्लोबल एक्सप्लोरेशन
सेंटर, एन एम डी सी ग्रीन वैली सिटी
हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बोरियाकला
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यू ए नं. 64/2022

बाली नागवंशी आ. श्री बुटेर नागवंशी,
उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी मकान
नं. 87, सन सिटी, जगदलपुर
जिला बस्तर (छ.ग.)

..... **अपीलकर्ता**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव,
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

2. डॉ. अयाज तंबोली, कलेक्टर,

कार्यालय जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)

3. पुलिस स्टेशन कोतवाली,
जगदलपुर द्वारा स्टेशन हाउस
अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

4. बैंक ऑफ बड़ौदा, द्वारा
शाखा प्रबंधक, शाखा
जगदलपुर, जिला– बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. भारत संघ, द्वारा सचिव
रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली– 1

6. बस्तर रेलवे प्रायवेट लिमिटेड
(एन एम डी सी का संयुक्त उद्यम
इरकॉन, सेल और सी एम डी सी)
द्वारा– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
कार्यालय ग्लोबल एक्सप्लोरेशन
सेंटर, एन एम डी सी ग्रीन वैली सिटी
हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बोरियाकला
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

..... **उत्तरवादीगण**

डब्ल्यू ए नं. 77/2022

श्रीमती नीलिमा बेलसरिया,
पत्नी श्री टी.वी. रवि, उम्र
36 वर्ष, निवासी ग्राम– पल्लाई,
तहसील– जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

..... अपीलकर्ता

बनाम

1. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी बस्तर रेलवे
प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर,
एनएमडीसी ग्रीन वैली सिटी,
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरियाकला,
रायपुर जिला– रायपुर (छ.ग.)

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

3. भारत संघ द्वारा सचिव, रेलवे विभाग,
रायसीना रोड, रेल भवन, 1 नई दिल्ली
4. आयुक्त–सह–मध्यस्थ
बस्तर संभाग, बस्तर
जिला– बस्तर (छ.ग.)

5. कलेक्टर जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)

6. अपर कलेक्टर–सह–भूमि अधिग्रहण
अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी बस्तर
जिला– बस्तर (छ.ग.)

7. बाली नागवंशी आ. श्री बुटर नागवंशी,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निवासी सन सिटी, जगदलपुर (छ.ग.)

8. श्रीमती पाकली, पत्नी श्री मनीराम,
निवासी ग्राम– पल्ली, जगदलपुर (छ.ग.)

9. नित्यगोपाल आ. क्षितिज चंद,
निवासी ग्राम रीना कंगाली,
जिला बस्तर (छ.ग.)

9. सीमा राठी, पत्नी श्री अजय राठी,
निवासी ग्राम– पल्ली, जगदलपुर
जिला बस्तर (छ.ग.)

..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यू ए नं. 83 /2022

श्रीमती नीलिमा बेलसरिया,
पत्नी श्री टी.वी. रवि, उम्र 36 वर्ष,
निवासी ग्राम– पल्लाई, तहसील–
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

..... **अपीलकर्ता**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

2. भारत संघ द्वारा सचिव, रेलवे विभाग,
रायसीना रोड, रेल भवन, 1 नई दिल्ली

3. कलेक्टर जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)
4. स्टेशन हाउस ऑफिसर
पुलिस स्टेशन– जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)

5. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी बस्तर रेलवे
प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर,
एनएमडीसी ग्रीन वैली सिटी,
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरियाकला,
रायपुर जिला– रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

. .....उत्तरवादीगण

डब्ल्यू ए नं. 115 /2022

हीरा लाल नायक आ. स्व. कुँवर सिंह नायक,
उम्र 63 वर्ष, निवासी विजय नगर चौक,
अवंती विहार के पास सेक्टर– 02,
तहसील एवं जिला– रायपुर (छ.ग.)

.....अपीलकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

2. जिला कलेक्टर
जगदलपुर (छ.ग.)

3. भारत संघ द्वारा सचिव,
रेलवे मंत्रालय, भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001.

4. स्टेशन हाउस ऑफिसर
पुलिस स्टेशन– जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....उत्तरवादीगण

डब्ल्यू ए नं. 129 /2022

1. सियाराम कुर्रे आ. श्री संतराम कुर्रे,
उम्र 64 वर्ष, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर,
निवासी पत्रकार कालोनी, रिंगरोड 2
बिलासपुर (छ.ग.)

2. दीनदयाल मण्डावी पुत्र श्री भरत सिंह
मण्डावी, उम्र 40 वर्ष, वर्तमान अनुविभागीय
अधिकारी केशकाल, कोंडागांव जिला
कोंडागांव, (छ.ग.)

3. अर्जुन श्रीवास्तव पुत्र श्री वाई एल श्रीवास्तव

उम्र 57 वर्ष, तहसीलदार (प्रभारी)–लोहण्डीगुड़ा
बस्तर, जिला बस्तर (छ.ग.)

4. धरम नारायण साहू पुत्र श्री लाखन साहू,
उम्र 64 वर्ष, सेवानिवृत्त पटवारी,
निवासी भगत सिंह वार्ड–6 पथरागुड़ा,
जगदलपुर, जिला जगदलपुर (छ.ग.)

.....अपीलकर्तागण

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सविच,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

2. भारत संघ द्वारा सचिव, रेलवे विभाग,
रायसीना रोड, रेल भवन, 1 नई दिल्ली

3. कलेक्टर जगदलपुर,
जिला बस्तर (छ.ग.)

4. स्टेशन हाउस ऑफिसर
पुलिस स्टेशन– जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)

5. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी बस्तर रेलवे
प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर,
एनएमडीसी ग्रीन वैली सिटी,

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरियाकला,
रायपुर जिला– रायपुर (छ.ग.)

..... **उत्तरवादीगण**

डब्ल्यू ए नं. 144 /2022

1. कौशल कुमार ठाकुर पुत्र सेवकराम ठाकुर,
उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट पुरी,
तहसील व थाना चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.)
वर्तमान मे निवासी डी एन के कालोनी, कनेरा रोड,
कोण्डागांव, पुलिस थाना–कोंडागांव, जिला
कोंडागांव, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... **अपीलकर्ता**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

2. सचिव, भारत संघ, रेलवे विभाग,
रायसीना रोड, रेल भवन, 1 नई दिल्ली

3. कलेक्टर जगदलपुर,
जिला जगदलपुर, (छ.ग.)

4. स्टेशन हाउस ऑफिसर
पुलिस स्टेशन– जगदलपुर,

जिला– जगदलपुर (छ.ग.)

..... **उत्तरवादीगण**

डब्ल्यू ए नं. 119 /2022

1. सुरेश बी.मताली पुत्र श्री बी.एस.मताली, उम्र लगभग 52 वर्ष, अपर महाप्रबंधक (सिविल) पताः हाउस नं.10, अशोका लाइफस्टाइल, धरमपुरा–3, थाना सिटी कोतवाली, जगदलपुर, जिला बस्तर छ.ग. स्थायी निवास मकान नं. एमआईजी–39, जलानगर, विजयपुरा, 586101, कर्नाटक

2. एवीआर मूर्ति,पुत्र श्री ए.कृष्णमूर्ति उम्र लगभग 54 वर्ष, संयुक्त महाप्रबंधक (सिविल) पताः हाउस नं.69, अशोका लाइफस्टाइल, धरमपुरा–3, थाना सिटी कोतवाली, जगदलपुर, जिला बस्तर छ.ग. स्थायी निवास एच/नं. 12–2–16/2, चिन्ना वीधी, समालकोट, 533440, पूर्व जिला गोदावरी, आंध्रप्रदेश.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... **अपीलकर्तागण**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

जिला रायपुर (छ.ग.)

2. सचिव, भारत संघ, रेलवे विभाग,
रायसीना रोड, रेल भवन, 1 नई दिल्ली
जिला नई दिल्ली, दिल्ली.

3. कलेक्टर जगदलपुर,
जिला बस्तर (छ.ग.)

4. स्टेशन हाउस ऑफिसर
पुलिस स्टेशन– जगदलपुर,
जिला– बस्तर (छ.ग.)

..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(कारण–शीर्षक केस सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलकर्ताओं के लियेः श्री प्रशांत भूषण विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) सुना गया,
श्री अमित वर्मा, विद्वान अधिवक्ता जो कि डब्ल्यू ए नं. 81/2022 और डब्ल्यू ए नं. 64 /2022 के लिये उपस्थित हैं,
श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, जो कि डब्ल्यू ए नं. 77/2022, 83/2022 एवं 129 /2022 के लिये

उपस्थित हैं,
श्री सिद्धार्थ शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता जो कि डब्ल्यू ए नं. 115/2022, के लिये उपस्थित हैं,
श्री अरविन्द श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता जो कि डब्ल्यू ए नं. 119/2022, मे अपीलकर्ता के लिये उपस्थित हैं,
श्री वरुण शर्मा, विद्वान अधिवक्ता जो कि डब्ल्यू ए नं.144/2022 मे अपीलकर्ता के लिये उपस्थित हैं,
द्वारा सहायता प्राप्त.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण की ओर से: श्री विकास सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को (विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) सुना गया,
उत्तरवादी बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव शुक्ला, श्री उज्ज्वल चौबे और श्री चंद्रदीप प्रसाद, राज्य के लिये सुश्री आस्था शुक्ला, विद्वान शासकीय अभिभाषक और श्री विक्रम शर्मा विद्वान उप शासकीय अभिभाषक और भारत संघ द्वारा मि. रमाकान्त मिश्रा, विद्वान सहायक सालिसिटर जनरल

द्वारा सहायता प्राप्त.

सुनवाई की तिथि : 13–05–2022

निर्णय की तिथि : 28–06–2022

माननीय श्री अरुप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत, न्यायाधीश
सीएवी निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आर.सी.एस.सामंत, जे.

1. रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 में पारित दिनांक 10.01.2022 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट अपील क्रमांक 64/2022, पेश की गई है, जिसके द्वारा याचिका को स्वीकार किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 12.02.2018 और आयुक्त, जगदलपुर द्वारा पारित दिनांक 11.7.2019 के पंच निर्णय को रद्द कर दिया गया था।

रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 1031/2019 में दिनांक 10.1.2022 के आदेश के विरुद्ध रिट अपील क्रमांक 81/2022 पेश की गई है । रिट अपील क्रमांक 81/2022 उसी आदेश के विरुद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा डब्ल्यूपीसी क्रमांक 3355/2019 में दिनांक 10.1.2022 के आदेश को चुनौती दी गई है।

रिट अपील क्रमांक 119/2022 में रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 828/2019 में एकल पीठ द्वारा

10.1.2022 को पारित आदेश, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया था, को चुनौती दी गई है।

रिट अपील क्रमांक 144/2022 में सिंगल बेंच द्वारा रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 1096/2019 को खारिज करने वाले आदेश दिनांक 10.1.2022 को चुनौती दी गई है।

रिट अपील क्रमांक 129/2022 उसी आदेश दिनांक 10.1.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 674/2019 को खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ताओं द्वारा रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 751/2019 को खारिज करने वाले एकल पीठ के दिनांक 10.1.2022 के आदेश के खिलाफ रिट अपील क्रमांक 83/2022 पेश की गई है।

अपीलकर्ताओं द्वारा रिट अपील क्रमांक 83/2022, एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 751/2019 को खारिज करने वाले आदेश दिनांक 10.1.2022 के खिलाफ पेश की गई है।

रिट अपील क्रमांक 115/2022, एकल पीठ द्वारा दिनांक 10.1.2022 के आदेश के खिलाफ पेश की गई है, जिसके द्वारा रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 1037/2019 को खारिज कर दिया गया है।

रिट अपील क्रमांक 77/2022 निर्णय दिनांक 10.1.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 को मंजूर किया गया

था।

2. रावघाट, जगदलपुर ब्रॉड–गेज नामक एकल रेलवे लाइन 140 किमी लंबी एकल रेलवे लाइन निर्माण की परियोजना को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4.4.2016 द्वारा विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया था। इस रेलवे परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1863 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जिसमें से 140.233 हेक्टेयर निजी भूमि थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1989') की धारा 20 ए के तहत विशेष रेलवे परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण करने के आशय की घोषणा करते हुए दिनांक 21.8.2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। आपत्तियों के लिए समय देने के बाद, अधिनियम, 1989 की धारा 20 ई के तहत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना 21.12.2017 को जारी की गई थी। रिट अपील क्रमांक 64/2022, 81/2022, 77/2022 और 83/2022 में अपीलकर्तागण भूमि के मालिक थे, जिनकी भूमि ग्राम–पल्ली में स्थित थी। वे प्रभावित व्यक्ति थे क्योंकि उनकी भूमि इस विशेष रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी। अतिरिक्त कलेक्टर जिला– बस्तर/सक्षम प्राधिकारी ने आवेदन क्रमांक 34/2017 में मुआवजा निर्धारण के लिए कार्यवाही की और 188.83 करोड़ रुपये का मुआवजा देते हुए अवार्ड दिनांक 12.2.2018 पारित किया। अपीलकर्ता बली नागवंशी से खसरा नंबर 123/1 क्षेत्रफल 7000 वर्ग मीटर और खसरा नंबर 123/2 क्षेत्रफल 19900 वर्ग मीटर अधिग्रहित किया गया था। "नीलिमा स्पंदन" के नाम से विकसित कॉलोनी में स्थित खसरा नं. 125/1 से 125/29, 125/31, 125/33 से 125/37 तक के भूखंड, भी इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी। बाली नागवंशी से अधिग्रहित की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.69 हेक्टेयर था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसके लिए मुआवज़ा 70.62 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था । इसी तरह, अपीलकर्ता नीलिमा बेलसारिया अधिग्रहित की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.040 हेक्टेयर के लिये उसके पक्ष में मुआवज़ा 25.19 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।

3. अपीलार्थी बली नागवंशी ने डब्लू ए क्रमांक 81/2022 एवं 64/2022 में निर्धारित मुआवजे से संतुष्ट न होने पर आयुक्त, बस्तर संभाग के समक्ष मध्यस्थता संदर्भ प्रस्तुत किया, जिसमे दिनांक 11.7.2019 के आदेश के तहत मुआवजा बढ़ाकर 7,79,04,091/– रूपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करते हुए मध्यस्थता अवार्ड दिया गया।

4. अपीलकर्ता द्वारा मध्यस्थता संदर्भ भी दिया गया था–नीलिमा बेलसारिया ने अतिरिक्त आयुक्त, बस्तर संभाग के समक्ष प्रस्तुत डब्लूए क्रमांक 83/2022 और 77/2022 जिसका निर्णय दिनांक 11.7.2019 के आदेश द्वारा किया गया और उसे 98,39,610/– रुपये की वृद्धि मिली।

5. कलेक्टर जिला–बस्तर ने दैनिक समाचार पत्र–नवभारत में दिनांक 19.7.2019 को अधिग्रहण मामले में विसंगतियों और घोटाले के बारे में प्रकाशित एक समाचार का संज्ञान लिया और उन्होंने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति गठित की।

6. समिति ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला बस्तर ने 30.7.2019 को ज्ञापन द्वारा समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि सक्षम प्राधिकारी और पंच द्वारा मुआवजे का निर्धारण त्रुटिपूर्ण था और रेलवे अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीएम और अन्य लोग बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया के पक्ष में उनके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकार से परे भारी मुआवजा निर्धारित करने की साजिश में शामिल थे और इस आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। धर्मनारायण साहू (पटवारी), अर्जुन श्रीवास्तव (राजस्व निरीक्षक), दीनदयाल मंडावी (तहसीलदार), सियाराम कुर्रे (एसडीओ, राजस्व), हीरालाल नायक (अपर कलेक्टर सह सक्षम प्राधिकारी), कौशल ठाकुर (प्रभारी उप–पंजीयक), इरकॉन के अधिकारी सुरेश बी. मिताली, इरकॉन के अधिकारी एआर मूर्ति, रेंज अधिकारी जीआर राव, बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया के खिलाफ एफआईआर अपराध क्रमांक 409/2019 के रूप में दर्ज किया गया था। एकल पीठ द्वारा विवादित आदेश के तहत विभिन्न रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया है और वे अपनी–अपनी रिट अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. रिट याचिका (सीआर.) 674/2019 में याचिकाकर्ता सियाराम और अन्य राजस्व अधिकारी हैं। रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 1027/2019 में याचिकाकर्ता हीरालाल नायक सक्षम प्राधिकारी थे, रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 1096/2019 में याचिकाकर्ता कौशल कुमार ठाकुर उप–पंजीयक कार्यालय के क्लर्क/प्रभारी थे, रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 97/2019 में नीलिमा बेलसारिया और एक अन्य याचिकाकर्ता थे। रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 751/2019 में पुनः याचिकाकर्ता नीलिमा बेलसारिया, रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 1031/2019 में याचिकाकर्ता बाली नागवंशी और रिट याचिका (सीआर.) क्रमांक 828/2019 में सुरेश बी. मिताली और एक अन्य याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए रिट याचिकाएं पेश की थीं। रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 में बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में 'बीआरपीएल'), याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के मुआवज़े

के निर्णय और मध्यस्थ/आयुक्त, बस्तर संभाग द्वारा दिए गए पंच निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए याचिका पेश की थी। विद्वान एकल पीठ ने विस्तृत आदेश द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 को मंजूर किया है, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.2.2018 को तथा आयुक्त द्वारा दिनांक 11.7.2019 को पारित पारित निर्णय को निरस्त कर दिया है। अन्य सभी रिट याचिकाएं (आपराधिक) खारिज कर दी गई हैं।

8. याचिकाकर्ता बाली नागवंशी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 पोषणीय नहीं थी, क्योंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 1996') की धारा 34 के तहत उपचार उपलब्ध था । इस तरह का एक आवेदन प्रतिवादी बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी जिला न्यायाधीश, बस्तर के न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिए, इस आधार पर याचिका पोषणीय नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 में याचिकाकर्ता बीआरपीएल द्वारा दावा की गई अनुतोष के अनुसार, शुरू में याचिका पोषणीय नहीं थी। संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था जिसके द्वारा अतिरिक्त अनुतोष, जो कि आयुक्त द्वारा पारित 11.7.2019 के निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना थी, को अंतिम सुनवाई के चरण में मंजूर किया गया और याचिकाकर्ता बी आर पी एल को भी यही अनुतोष प्रदान किया गया। यह भी कहा गया है कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद , संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मध्यस्थ के निर्णय को रद्द करने के लिए ऐसी प्रार्थना प्रचलन योग्य नहीं थी। आगे यह भी कहा गया है कि, **एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड,** (2005) 8 एससीसी 618 में रिपोर्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल बनाम मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 396 में रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया। याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 को मंजूर किया जाने वाला आदेश गलत है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आरोपित आदेश के पैराग्राफ क्रमांक 117 में त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया है कि प्रारंभिक चरण में रिट याचिका की प्रचलनशीलता के बारे में किसी ने आपत्ति नहीं उठाई है, जो सही कथन नहीं है और इसलिए रिट याचिका (सिविल) संख्या 3355/2019 में विद्वान एकल पीठ का आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता बाली नागवंशी की अधिग्रहित भूमि शहरी भूमि थी, जो मुख्य सड़क से सटी हुई थी तथा इसका मुआवजा वर्ष 2017–2018 की गाइडलाइन के अनुसार महानिरीक्षक पंजीयक एवं अधीक्षक (स्टाम्प), रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया था। मुख्य सड़क से 20 मीटर की गहराई में स्थित भूखंड के प्रति वर्ग मीटर बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान था तथा तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारित किया गया था तथा आयुक्त, बस्तर संभाग/पंचाट द्वारा इसमें वृद्धि की गई थी।

10. वर्ष 2017–2018 की गाइडलाइन के क्रमांक 34 एवं 37 में स्पष्ट उल्लेख है कि एमजीएम स्कूल से पल्ली नाका तक के मार्ग में स्थित भूमि के लिए 13,800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा निर्धारित किया जाना था, ऐसी भूमियां जो मुख्य सड़क से 20 मीटर की गहराई के अंदर स्थित हैं।

11. दिनांक 2.7.2014 की सरकारी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने नगर निगम जगदलपुर के वार्डों की सीमा निर्धारित किया है। अनुसूची के अनुसार क्रमांक 37 में लोकमान्य तिलक वार्ड का उल्लेख है, जिसमें पल्ली क्षेत्र भी शामिल है। वार्ड नंबर 37 के विवरण में पल्ली नाका का उल्लेख है। दिशा–निर्देशों की कंडिका क्रमांक 10 में स्वयं उल्लेख किया गया है कि शहरी आवासीय क्षेत्र जो मुख्य सड़क के समीप स्थित है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है, उसके लिए बाजार मूल्य की गणना उस क्षेत्र के मुआवजे की 25% तक की बढ़ी हुई दर पर की जानी थी। कंडिका क्रमांक 11 में आगे प्रावधान है कि शहरी क्षेत्र में इलाका/कॉलोनी/मार्ग, जैसा कि दिशा–निर्देशों में दर्शाया गया है, उस स्थान पर बाजार मूल्य की गणना उस ईलाके/कॉलोनी/मार्ग की दर के अनुसार की जाएगी, जिसका मुआवजा निर्धारण करने में पालन किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 2013') में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 26 के तहत प्रावधान का पालन करने के लिए बाध्य है और, इसलिए, मुआवजे का निर्धारण करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और, इसके अलावा, आयुक्त ने भी अपीलकर्ता बाली नागवंशी के पक्ष में मुआवजा बढ़ाने में कोई त्रुटि नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी और मध्यस्थ दोनों का निर्णय संधारणीय है। उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि याचिकाकर्ता बाली नागवंशी ने अधिग्रहण से लगभग नौ साल पहले खरीदी थी। इन आधारों पर, आरोपित आदेश को चुनौती दी गई है और उनका तर्क है कि एफआईआर निराधार और परेशान करने वाला है।

12. रिट अपील क्रमांक 77/2022, 129/2022

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और 83/2022 में विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह केवल कलेक्टर की रिपोर्ट पर आधारित है। कलेक्टर को अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत हुई है। अतिरिक्त कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया था। अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 21.8.2007 को न तो किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न ही किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने बहुत देर के बाद रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 दायर की और इसलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है। प्रारंभ में जो प्रार्थना खंड मौजूद थी, उसके आधार पर याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। विद्वान एकल पीठ ने प्रार्थना खंड में संशोधन की अनुमति दी है, जिसे बाद में शामिल किया गया था, जिसके बारे में आपत्ति उठाई गई थी, कि जब अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन लंबित था, तो मध्यस्थ के निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना को इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3355/2019 में एकल पीठ का आदेश संधारणीय नहीं है।

13. विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि अपीलकर्ता नीलिमा बेलसारिया की भूमि वार्ड क्रमांक 37 में स्थित शहरी भूमि थी और भूमि उपयोग के संबंध में डायवर्सन आदेश था। यह भूमि "नीलिमा स्पंदन" के नाम से विकसित और शैलीबद्ध कॉलोनी में मौजूद थी। राज्य सरकार ने रेलवे निर्माण के लिए परियोजना क्षेत्र में भूमि के हस्तांतरण/बिक्री पर रोक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लगाने का आदेश पारित किया था। अपीलकर्ता नीलिमा बेलसारिया ने इस आदेश को रिट याचिका (227) संख्या 238/2012 में चुनौती दी थी, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने 07.08.2014 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निराकृत किया था। उस आदेश में माना गया था कि भूमि उपयोग के लिए डायवर्सन न्यायोचित और उचित और कानून के अनुसार था।

उन्होंने बाली नागवंशी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का समर्थन किया कि प्रश्नगत भूमि नगर निगम जगदलपुर की नगरपालिका सीमा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में स्थित है। इसलिए, दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण उचित था। यह फिर से प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर की रिपोर्ट में अधिसूचना पर ही संदेह जताया गया है जिसके बारे में कलेक्टर के पास कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है और इसलिए, संबंधित अधिसूचना की आपराधिक न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। इसलिए, रिट याचिका (सिविल) संख्या 3355/2019 में दिया गया आदेश संधारणीय नहीं है और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर भी रद्द किए जाने योग्य है।

14. विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद श्रीवास्तव ने रिट अपील क्रमांक 119/2022 में प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी नहीं हैं। वे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम) के कर्मचारी हैं। इन अपीलकर्ताओं का अधिग्रहण प्रक्रिया या मुआवजे के निर्धारण से कोई लेना–देना नहीं है। इन अपीलकर्ताओं की किसी भी तरह से कोई संलिप्तता नहीं थी। दर्ज की गई एफआईआर में, साजिश दिखाने के लिए आईपीसी की धारा 109 के तहत अपराध जोड़ा गया है और यह कि ये

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता साजिश का हिस्सा थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि पल्ली में रेलवे स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव इन अपीलकर्ताओं द्वारा नहीं दिया गया था। कलेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 30.7.2019 में, खंड एफ में उल्लेख किया गया है कि रेलवे अधिकारियों की संलिप्तता और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की आवश्यकता के संबंध में,सक्षम रेलवे अधिकारियों द्वारा जांच की आवश्यकता है । इसलिए, अपीलकर्ताओं, जो रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, के विरुद्ध कोई जांच करने की सिफारिश नहीं थी। विद्वान एकल पीठ ने अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए इस बिंदु पर बहुत ही सरसरी तौर पर निर्णय देते हुए कहा है कि उठाए गए आधार की रिट न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, जो गलत है, इसलिए इस मामले में अपीलकर्ता इस रिट अपील में किये गये प्रार्थना के अनुसार राहत पाने के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. रिट अपील संख्या 144/2022 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण शर्मा ने कहा कि इस मामले में अपीलकर्ता पंजीकरण क्लर्क था और उसका एकमात्र कार्य दिशा–निर्देशों के अनुसार गणना पत्र प्रदान करना था, जो स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया गया था । इस अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। आगे यह भी कहा गया है कि अधिनियम, 1989 की धारा 186 के तहत लोक सेवक को उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसके तहत इस अपीलकर्ता को भी संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर करना रद्द करने योग्य था, यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट अपील को स्वीकार किया जाए और राहत प्रदान की जाए।

16. रिट अपील संख्या 115/2022 में अपीलकर्ता के

विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में अपीलकर्ता सक्षम प्राधिकारी था और उसने कलेक्टर की रिपोर्ट में आरोपित उक्त षडयंत्र में कोई भूमिका नहीं निभाई है। यह अवार्ड उन दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया था, जो उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें 2017–2018 के दिशानिर्देश शामिल थे। अपीलकर्ता ने कानून के अनुसार अपना कर्तव्य कड़ाई से निभाया है। इसलिए, इस अपीलकर्ता की ओर से कोई आपराधिक कृत्य मौजूद नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की है कि मामले की जांच की आवश्यकता है। जबकि दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने योग्य थी, इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट अपील को स्वीकार किया जाए और अपीलकर्ता को प्रार्थना के अनुसार राहत मंजूर किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर, बस्तर और एसएचओ, पुलिस स्टेशन, कोतवाली, जगदलपुर का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य के विद्वान परामर्शदाता सुश्री आस्था शुक्ला ने दलील दी कि कलेक्टर के पास भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने का अधिकार था, संबंधित अधिकारी द्वारा मुआवजे के निर्धारण में और साथ ही उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जिन्हे बिना किसी अधिकार के अत्यधिक लाभान्वित प्राप्त हुआ है। बस्तर रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में बड़े पैमाने पर अनियमितता और अवैधता के बारे में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों से जैसे ही मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया , जांच का आदेश दिया गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बहुत सही ढंग से माना है कि कलेक्टर ऐसी जांच करने के लिए सक्षम हैं और एफआईआर दर्ज करना एक सही कदम है। आगे यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया

की भूमि स्पष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी, जिसे इन अपीलकर्ताओं के पक्ष में बढ़ा हुआ मुआवजा निर्धारित करने के लिए गलती से शहरी क्षेत्र मान लिया गया है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए, सभी रिट अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

18. उत्तरवादी बीआरपीएल के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने सबसे पहले डब्ल्यूपीसी संख्या 3355/2019 की स्थिरता के आधार पर प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार करने का अधिकार है, जिसके संबंध में उन्होंने **अंडी मुक्ता सदुरु श्री मुक्ताजी वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम वीआर रुदानी ,** (1989) 2 एससीसी 691, **पीआरपी एक्सपोर्ट्स एवं अन्य बनाम मुख्य सचिव, तमिलनाडु शासन एवं अन्य,** (2014) 13 एससीसी 692, **यूपी राज्य बनाम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ,** (2011) 13 एससीसी 77 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह अधिग्रहण प्रक्रिया में मुआवजे के निर्धारण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भारी विसंगति का मामला है। इसलिए, यह एक असाधारण मामला था जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जानी चाहिए। इसलिए, अधिनियम, 1996 की धारा 34 को लागू करना पर्याप्त उपाय नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि 12–09–2019 को डब्ल्यूपीसी नंबर 3355/2019 दाखिल करने के समय, अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी । हालाँकि, अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन 18–02–2021 को दायर किया गया था, जिसे अभी तक संबंधित न्यायालय द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ही प्रभावी उपाय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की मांग की जा सकती है। इसलिए, इन कारणों से डब्ल्यूपीसी नंबर 3355/2019 बनाए रखने योग्य थी और विद्वान एकल पीठ द्वारा रखरखाव के प्रश्न का सही ढंग से निर्णय लिया गया है।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि अधिग्रहित भूमि ग्राम पल्ली में स्थित है जो कि एक पंचायत क्षेत्र है तथा अभी तक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं है। बस्तर जिले के नगर परिषद जगदलपुर की सीमा में आने वाले गांवों को शामिल करने वाली अंतिम अधिसूचना दिनांक 03–09–2002 की है, जिसके द्वारा ग्राम पल्ली को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में शामिल नहीं किया गया था। अपीलकर्ताओं का यह दावा कि ग्राम पल्ली वार्ड क्रमांक 37, अर्थात् लोकमान्य तिलक वार्ड में शामिल है, निराधार है। वार्ड क्रमांक 37 लोकमान्य तिलक वार्ड के विवरण में उल्लेख है कि वार्ड की पश्चिमी सीमा ग्राम पल्ली की पूर्वी सीमा से मिलती है। पल्ली नाका का उल्लेख करते हुए उत्तरी सीमा का वर्णन पल्ली गांव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता, अर्थात् बली नागवंशी तथा नीलिमा बेलसारिया ने कृषि भूमि खरीदी है, जिसके संबंध में दिया गया क्षेत्रफल हेक्टेयर में है तथा स्टाम्प शुल्क उसी के अनुसार लगाया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1961) की धारा 5(ए) के अंतर्गत ग्राम–पल्ली को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने के लिए कोई अधिसूचना मौजूद नहीं है । अधिसूचना दिनांक 22–07–2014, जिस पर अपीलकर्ता पक्ष भरोसा कर रहा है, अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अंतर्गत केवल चुनाव प्रयोजनों के लिए जारी की गई थी और ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 29 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंतर्गत वार्ड के विस्तार में शामिल गांव नगरपालिका क्षेत्र हैं। नगरपालिका क्षेत्रों में शामिल करने की अंतिम अधिसूचना दिनांक 03–09–2002 की थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 21–07–2014 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य (सीजी) द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन किया गया है, जिसमें क्रमांक 23 दर्शाता है कि ग्राम पंचायत कुम्हराबंद में ग्राम पल्ली शामिल है, जिससे पल्ली गांव एक अधिसूचित ग्राम पंचायत क्षेत्र होने की पुष्टि होती है। आईजी और अधीक्षक स्टाम्प, सीजी द्वारा जारी 2017–18 के दिशा–निर्देशों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ग्राम पल्ली एक ऐसा क्षेत्र था जिसके लिए कृषि भूमि का बाजार मूल्य प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नहीं बल्कि हेक्टेयर के आधार पर निर्धारित किया जाना था। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया के अलावा 9 अन्य व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहण किया गया था और उनकी भूमि का मुआवजा हेक्टेयर के आधार पर निर्धारित किया गया है, जबकि बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया की भूमि का मुआवजा प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए की गई घोर अनियमितता और इसमें शामिल साजिश को दर्शाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. यह प्रस्तुत किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12–02–2018 को पारित आदेश में, पैराग्राफ 4 में उल्लेख किया गया है कि बढ़ी हुई दर पर मुआवजे के आकलन के संबंध में बाली नागवंशी का दावा स्वीकार कर लिया गया था, जबकि अन्य तीन दावेदारों, अर्थात् परमजीत जसवाल, ओंकार सिंह और मोहम्मद अबू नाटिक के दावे को खारिज कर दिया गया था और फिर आयुक्त ने उन्हीं दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मुआवजे में वृद्धि का आदेश दिया है। जबकि, इसी तरह के अन्य भू–विस्थापितों को समान शर्तों पर मुआवजा नहीं

दिया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी का मामला है, जो अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया और मुआवजे के निर्धारण में शामिल अधिकारियों के बीच रची गई साजिश के माध्यम से किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल पीठ ने धोखाधड़ी को गौर किया है और उसी के बारे में आदेश में उल्लेख किया है।

21. यह प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर के पास भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि के आरोपों की जांच करने का क्षेत्राधिकार और शक्ति है। इसमें दिशानिर्देशों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है और यह भी कि केवल दो भूमि विस्थापितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि को जानबूझकर नगरपालिका क्षेत्र में दर्शाया गया है, जो स्पष्ट रूप से अपराधों होने को इंगित करता है, जिनकी जांच की आवश्यकता है और तदनुसार जांच की गई है और उस पर कार्रवाई की गई है। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12–02–2018 और आयुक्त द्वारा दिनांक 11–07–2019 के निर्णय धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से प्रभावित होने के कारण अस्थाई और शून्य हैं। **एसपी चेंगलवरैया नायडू बनाम जगन्नाथ**, (1994) 1 एससीसी 1, **भाऊराव दगडू परालकर बनाम महाराष्ट्र राज्य** ,(2005) 7 एससीसी 605, **उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य बनाम रविन्द्र कुमार शर्मा एवं अन्य,** (2016) 4 एससीसी 791 और **रामेश्वर बनाम हरियाणा राज्य,** (2018) 6 एससीसी 215 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बाद की घटनाओं पर रिट कोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता है, जिसके संबंध में **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ,** (2011) 13 एससीसी 77 के मामले में माननीय सर्वोच्च

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, रिट स्वीकार्य योग्य है, भले ही कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद हो, जैसा कि **व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स ,** (1998) 8 एससीसी 1 के मामले में माना गया है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि रिट अपीलें विचारणीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें खारिज किया जाए तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा को भी रद्द किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अपीलकर्ता बाली नागवंशी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने खण्डन में कहा कि दिनांक 02–07–2014 की अधिसूचना केवल चुनावों के लिए नहीं है। वार्ड क्रमांक 37, लोकमान्य तिलक वार्ड के संबंध में सीमाएं और क्षेत्र बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। यह पल्ली नाका से शुरू होकर धरमपुरा क्रमांक 2 से शंकर मंदिर होते हुए उत्तर में उर्वशी पांडे के घर तक है और शंकर मंदिर नरमुंडा से शुरू होकर रजत जैंती कंगोली से बीएम कोल्ड स्टोरेज होते हुए पल्ली नाका तक का उल्लेख है। पल्ली गांव इस क्षेत्र के भीतर स्थित है। अपीलकर्ता बाली नागवंशी की जमीन एमजीएम स्कूल से पल्ली नाका तक जाने वाली सड़क से सटी हुई है। इसी आधार पर सक्षम अधिकारी ने मुआवजे की गणना की है और मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार 25% की वृद्धि दी गई है। अतः दिनांक 02–07–2014 की अधिसूचना के आधार पर यह माना जा सकता है कि अपीलकर्ता बाली नागवंशी की भूमि शहरी भूमि थी तथा उसका मूल्यांकन अधिनियम, 1989 की धारा 20(जी) तथा अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार किया जाना था,

जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है तथा आयुक्त द्वारा आगे की वृद्धि प्रदान की गई है। अतः सक्षम प्राधिकारी तथा आयुक्त द्वारा दिया गया मुआवजा निर्णय मान्य है तथा अपीलकर्ता बाली नागवंशी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना निराधार है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

23. अपीलकर्ता नीलिमा बेलसारिया के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव ने खण्डन में कहा कि अधिनियम, 1961 की धारा 29 के अंतर्गत अधिसूचना केवल चुनाव के प्रयोजनों तक सीमित नहीं है। अधिकारियों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और मुआवजा निर्धारित करने में उसे उसी के अनुसार लागू किया गया है। षडयंत्र के संबंध में उत्तरवादीगण के अधिवक्ता का तर्क पूरी तरह से निराधार है। कलेक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट में रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित योजना पर सवाल उठाया गया है, जिस पर कलेक्टर द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता था। अधिनियम, 1989 की धारा 20(ई) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के परिणामस्वरूप अधिग्रहित भूमि केंद्र सरकार के पास चली गई है, जिसे उत्तरवादी बीआरपीएल द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। पल्ली में रेलवे स्टेशन के निर्माण के मामले में परियोजना के डायवर्सन और हस्तांतरण ने मूल अधिग्रहण योजना को प्रभावित नहीं किया है और केवल रेलवे स्टेशन का निर्माण ही मुआवजा राशि में वृद्धि का कारण नहीं है। चूंकि अधिग्रहित भूमि शुरू से ही अधिग्रहण योजना में थी, इसलिए उत्तरवादी बीआरपीएल द्वारा प्रतिपादित षड्यंत्र सिद्धांत का कोई समर्थन नहीं मिलता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता नीलिमा बेलसारिया से अधिग्रहित भूमि डायवर्टेड प्लॉट थी जिसके संबंध में अपीलकर्ता के पास डब्ल्यूपी 227 नंबर 238/2012 में उच्च न्यायालय के आदेश से पुष्टि मिली है। इसलिए, प्रति वर्ग मीटर बाजार मूल्य पर मुआवजे के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मूल्यांकन किया जाना उचित था। उत्तरवादी बीआरपीएल ने 2017–18 के दिशानिर्देशों को चुनौती नहीं दी है।

प्रस्तुत है कि कलेक्टर की रिपोर्ट में 12% ब्याज देने को भी साजिश माना गया है, जबकि अपीलकर्ता मुआवजे पर इस तरह के ब्याज का हकदार है। **भारत संघ और अन्य बनाम तरसेम सिंह और अन्य** , एआईआर 2019 एससी 4689 के मामले में फैसले पर भरोसा किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम, 1989 की धारा 20 (एफ) (vi) और (vii) पारित अवार्ड के खिलाफ उपचार प्रदान करती है, जो पंचाट के माध्यम से होगी। उत्तरवादी बीआरपीएल ने जिला न्यायाधीश की न्यायालय के समक्ष अवार्ड को चुनौती दी है। **प्रदीप सिंह बनाम यूपी राज्य** , 2010 (2) एससीसी 114 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए , यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी पक्ष द्वारा तथ्य छिपाने के मामले में दावा की गई राहत को न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि कलेक्टर ने आरोपी व्यक्तियों के रैंक से नीचे के अधिकारियों की जांच समिति गठित की थी, विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी जो अतिरिक्त कलेक्टर के रैंक पर थे। इसके अलावा, अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन भी देरी से प्रस्तुत किया गया है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पी. राधा बाई और अन्य बनाम पी. अशोक कुमार और अन्य ,** एआईआर (2018) एससी 5013 के मामले में निर्धारित सीमाओं के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। इसलिए, मामले में साजिश का कोई आधार या सबूत मौजूद नहीं है। नीलिमा बेलसारिया द्वारा दायर अपील में की गई प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य है।

24. डब्लूए संख्या 115/2022 में अपीलकर्ता के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ शुक्ला, ने खण्डन में प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता हीरा लाल नायक ने 12–02–2018 को प्रारंभिक अवार्ड पारित किया और फिर उनका तबादला कर दिया गया। इसलिए, उनके कार्यकाल में न तो मुआवज़ा राशि जमा की गई और न ही वितरित की गई। मुआवज़े की गणना दिशा–निर्देशों और उप–पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। इस अपीलकर्ता का कथित रूप से षडयंत्र में कोई हिस्सा नहीं है। उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है।

25. डब्लूए संख्या 119/2022 में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद श्रीवास्तव ने खण्डन में कहा कि पल्ली में रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव बीआरपीएल द्वारा किया गया था। इस अपील में अपीलकर्ताओं ने रेलवे परियोजना के डायवर्जन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। इसलिए, साजिश में उनकी भागीदारी के संबंध मे आरोप पूरी तरह से निराधार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. डब्लूए संख्या 144/2022 में अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री वरुण शर्मा ने खण्डन में कहा कि इस मामले में अपीलकर्ता पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत था तथा उसने 2017–18 के दिशा–निर्देशों के आधार पर मुआवजे का आकलन करने के लिए गणना प्रस्तावित की थी। उप–पंजीयक, जगदलपुर द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था तथा अपीलकर्ता नीलिमा बेलसारिया को दिनांक 03–01–2011 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि उसकी भूमि जगदलपुर के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। इसलिए, इसमें कोई साजिश नहीं है तथा न ही इस मामले मे कोई अपराध किया गया है। इसलिए, इस अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

27. यूओआई के विद्वान सहायक एसजी श्री आरके मिश्रा ने प्रतिवादी–बीआरपीएल के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान परामर्शदाता द्वारा दिए गए तर्कों को अपनाया और प्रस्तुत किया कि सभी रिट अपील खारिज किए जाने योग्य हैं।

28. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा सभी रिट अपीलों के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

29. अपीलकर्ताओं ने कलेक्टर द्वारा दिनांक 30.07.2019 को दी गई रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, कोतवाली, जगदलपुर द्वारा दिनांक 04.08.2019 को दर्ज की गई एफआईआर और संबंधित बैंकों को संबंधित अपीलकर्ताओं/ याचिकाकर्ताओं के बैंक खाते जब्त करने का निर्देश देने वाले एसएचओ पुलिस स्टेशन, जगदलपुर के आदेश को भी चुनौती दी थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आलोच्य आदेश/निर्णय के पैराग्राफ 67 में निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"67. उपर्युक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को निर्धारित किया जाना आवश्यक हैं:–

(1) क्या कलेक्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजना के संबंध में जांच का संचालन के लिए सक्षम है।

(2) क्या इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तथ्यों और आधारों की जांच इस न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द करने के लिए की जा सकती है।

(3) यदि आरोप–पत्र और निलंबन आदेश पहले ही निरस्त कर दिया गया है, तो डब्ल्यूपीसीआर क्रमांक 1096/2019 में याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के संबंध में इसका क्या प्रभाव है?

(4) क्या राज्य गृह अधिकारी द्वारा बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए दिनांक 05.08.2019 को नोटिस जारी करना उचित था?

30. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आलोच्य निर्णय के पैराग्राफ 75 में माना है कि कलेक्टर की भूमिका, शक्ति और अधिकार क्षेत्र को किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में विसंगतियों के बारे में किसी भी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर को संज्ञेय अपराधों के संबंध में जांच के लिए आदेश देने और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना उनेक अधिकार क्षेत्र मे था। **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य** (2014) 2 एससीसी 1 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर , यह माना गया कि कलेक्टर की रिपोर्ट ही संबंधित के खिलाफ दर्ज एफआईआर का आधार है और अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया कोई भी आधार उनका बचाव है, जिस पर निर्णय रिट न्यायालय द्वारा नहीं लिया जा सकता।

31. **कप्तान सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य,** 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 580 में रिपोर्टेड और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आपराधिक अपील संख्या 1455–1456/2021 **ओडिशा राज्य बनाम प्रतिमा मोहंती** निर्णय दिनांक 11.12.2021 पर भरोसा करते हुए , विद्वान एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने की याचिका को खारिज कर दिया है और पैराग्राफ क्रमांक 97 में निम्नानुसार माना है: –

> "**97.** उपर्युक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के खिलाफ बिंदु संख्या 1 तय किया गया है कि कलेक्टर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजना के संबंध में जांच करने के लिए सक्षम हैं और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बिंदु संख्या 2 भी तय किया जाता है कि इस स्तर पर उनके द्वारा उठाए गए तथ्यों और आधारों की जांच, इस न्यायालय द्वारा एफआईआर को रद्द करने के लिए नहीं की जा सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. कौशल कुमार ठाकुर, जो डब्लू पी (आप.) क्रमांक 1096/2019 में याचिकाकर्ता और डब्लूए क्रमांक 144/2022 में अपीलकर्ता हैं, के दलीलों के आधार पर उनके पक्ष में हुए घटनाक्रम की जांच की गई और आलोच्य निर्णय के पैराग्राफ संख्या 100 में बिंदु संख्या 3 को तय किया गया जो इस प्रकार है: –

> "**100.** उपर्युक्त कानूनी स्थिति से और मामले के तथ्यात्मक स्वरूप पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के विचार से भले ही विभागीय जांच बंद कर दी गई है, लेकिन केवल इसी आधार पर एफआईआर बंद नहीं की जा सकती, इसलिए **बिंदु संख्या 3** का निर्णय **याचिकाकर्ता के खिलाफ** दिया गया।"

33. बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर के अधिकार के संबंध में **बिंदु संख्या 4** की जांच की गई और **तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य** (2018) 2 एससीसी 372 मे रिपोर्टेड मामले में सुप्रीम

कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया, यह पैराग्राफ 102 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> "**102.** मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी बहुत अच्छी तरह से बैंक खाते को जब्त कर सकता है जो कि दं.प्र.सं. की धारा 102 के अनुसार एक संपत्ति है। इस प्रकार **बिंदु संख्या 4** का निर्णय **याचिकाकर्ता के खिलाफ** दिया गया।"

34. डब्ल्यूपीसी क्रमांक 3355/2019 पर अलग से विचार किया गया तथा मंजूर किया गया जिसके संबंध में पैराग्राफ क्रमांक 127, 128, 129 130 एवं 131 प्रासंगिक हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

> "**127.** उपर्युक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता/बीआरपीएल एक हितबद्ध व्यक्ति है, इस तरह, उसे विद्वान मध्यस्थ द्वारा नोटिस किया जाना चाहिए था, जहां उत्तरवादी क्रमांक 7 द्वारा अवार्ड/निर्णय को चुनौती दी गई थी। इस प्रकार, आयुक्त द्वारा पारित मध्यस्थता निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और इस न्यायालय द्वारा भी इसे रद्द किया जा सकता है।
>
> **128.** तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2018 तथा आयुक्त, जगदलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप डब्ल्यूपीसी क्रमांक 3355/2019 को मंजूर किया जाता है। परिणामस्वरूप, विद्वान सक्षम प्राधिकारी को परिपत्र,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिशा–निर्देशों पर विचार करने के पश्चात पुरस्कार की पुनः गणना करने का निर्देश दिया जाता है तथा यदि तथ्यात्मक मैट्रिक्स का पता लगाना आवश्यक हो, तो वह निर्णय पारित करते समय साक्ष्य रिकॉर्ड करने का भी निर्देश दे सकता है। यह कार्य इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय ने डब्ल्यूपीसीआर क्रमांक 1031/2019 में कोई भी कठोर कदम न उठाने का अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से निर्णय पारित किए जाने तक जारी रहेगी, बशर्ते कि याचिकाकर्ता/भूमि खोने वाले जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है या अधिग्रहित की जानी है, वे राशि के हस्तांतरण के लिए इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित बैंक के समक्ष एक हलफनामा दायर करेंगे, जो उन्हें इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई है। इसके बाद, बैंक तुरंत भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खाते में राशि हस्तांतरित कर देगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिए जाने तक राशि वितरित नहीं करेगा।

129. याचिकाकर्ताओं/भूमि खोने वालों को भी मुआवजे की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2018 के अनुपालन में प्राप्त हुई है। उनके मुआवजे और राशि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को सुनवाई का अवसर देते हुए कानून के अनुसार नए सिरे से तय किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

130. जहां तक सरकारी अधिकारियों का संबंध है, उन्हें इस शर्त के साथ कोई बलपूर्वक कदम न उठाने की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्णय दिए जाने तक प्रत्येक माह थाना प्रभारी, जगदलपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तथा बाद की उपस्थिति निर्णय के अंतिम परिणाम पर निर्भर होगी।

131. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, डब्ल्यूपीसीआर नंबर 674/2019, 979/2019, 1037/2019, 751/2019, 828/2019, 1031/2019 और 1096/2019 का निराकरण किया जाता है और 2019 के डब्ल्यूपीसी नंबर 3355 को मंजूर किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. अपीलकर्ता पक्ष द्वारा डब्ल्यूपी (सी) नंबर 3355/2019 की स्थिरता के बारे में एक बिंदु उठाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उपाय उपलब्ध था, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी और आयुक्त के निर्णय को रिट याचिका में चुनौती के अधीन नहीं था। तर्क के दौरान, इस न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया कि बाद में, उत्तरवादी बी आर पी एल ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन पेश किया है, लेकिन आज तक इसे पंजीकृत नहीं किया गया है और इसके अलावा, आवेदन अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) के तहत प्रदान की गई सीमा अवधि से परे दायर किया गया है।

36. उत्तरवादी राज्य, उत्तरवादी–बीआरपीएल और उत्तरवादी– भारत संघ का मुख्य तर्क यह है कि मुआवजे के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश

पर आधारित थी, क्योंकि कई भूमि विस्थापितों में से, उनमें से केवल दो, अर्थात्, बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया को मुआवज़ा देने और मुआवज़ा वृद्धि के मामले में बहुत अधिक और अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया है, जो कि उनके लिए एक अप्रत्याशित लाभ है। जबकि शेष भूमि विस्थापितों को, जो समान स्थिति में थे, उन्हें समान तरीके से लाभ नहीं दिया गया है। दूसरा, बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया के पक्ष में मुआवज़ा निर्धारित करने के उद्देश्य से, उनसे अधिग्रहित भूमि को शहरी भूमि माना गया, जबकि वे जमीनें ग्राम पंचायत कुमरवंड के अंतर्गत आने वाले गाँव– पल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। मुआवज़े का निर्धारण 2017–18 के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया। दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पटवारी– धर्मनारायण साहू, राजस्व निरीक्षक– अर्जुन श्रीवास्तव और तहसीलदार दीनदयाल मंडावी ने साजिश रचकर अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसरिया के लाभ के लिए प्रविष्टियों में जालसाजी करके राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी। इसमे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सियाराम कुर्रे, उपपंजीयक कार्यालय के लिपिक/प्रभारी कौशल ठाकुर की संलिप्तता का आरोप है, जिन्होंने बढ़ी हुई दर पर मुआवजे की गणना प्रदान की,जिसके आधार पर बाली नागवंशी की कुल 2.69 हेक्टेयर जमीन को 70.6 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिये दिशा–निर्देशों के अनुसार मुआवजा केवल 7.79 करोड़ रुपए ही होना चाहिए था और इसी तरह इस साजिश के कारण और बढ़ी हुई बाजार दरों पर गणना के आधार पर नीलिमा बेलसारिया से अधिग्रहित 1.04 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा 25.19 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिये दिशा–निर्देशों के अनुसार मुआवजा केवल 4.38 करोड़ रुपए होना चाहिए था। यह भी आरोप है कि बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया की जमीन को सड़क से सटा हुआ और व्यवसायिक महत्व का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दर्शाकर 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है, जबकि इसी प्रकार अन्य भू–विस्थापितों को ग्रामीण मापदंड के अनुसार मुआवजा दिया गया है। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना करना अवैध है तथा अधिनियम, 1989 और अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के विरुद्ध है।

37. कलेक्टर की रिपोर्ट में कई आरोप मौजूद हैं, जो एफआईआर दर्ज करने का आधार है, जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किए गए मुआवजे के आकलन के विरुद्ध निर्देशित हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय पारित करने और आयुक्त द्वारा मुआवजे मे वृद्धि और बीआरपीएल द्वारा मुआवजा राशि जमा करने के बाद, कलेक्टर कार्यालय द्वारा जांच की गई, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटनाक्रम के परिणामस्वरूप, डब्ल्यूपीसी संख्या 3355/2019 में याचिकाकर्ता– बीआरपीएल ने आधार उठाया है, कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उत्तरवादी बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया और अन्य के संबंध में पारित निर्णय शून्य और अमान्य है, क्योंकि मुआवजा अवैध रुप से कानून के प्रावधानों के विरुद्ध तथा वर्ष 2017–18 के लिए बाजार मूल्य के दिशानिर्देशों के विरुद्ध निर्धारित किया गया था और संबंधित पक्षों के पक्ष में मुआवजे का निर्धारण, जिन्हें अवैध रूप से लाभ पहुंचाया गया है उन अपराधों के परिणामस्वरुप है जिनके संबंध मे एफआईआर दर्ज की गई है।

38. डब्ल्यूपी (सी) नंबर 3355/2019 में याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.02.2018 को दिए गए निर्णय को अवैधता के आधार पर चुनौती दी है। आयुक्त द्वारा दिनांक 11.07.2019 को दिए गए निर्णय को चुनौती देने में भी अवैधता का यही आधार उठाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुख्य आरोप यह है कि दोनों ही निर्णय संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का परिणाम थे। **एसपी चेंगलवरया नायडू बनाम जगन्नाथ** (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि न्यायालय से धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया निर्णय और डिक्री शून्य थी। **भाऊराव दगडू परालकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** (सुप्रा) के मामले में यह माना गया था कि जैसा कि सर्वविदित है कि "धोखाधड़ी" , हर गंभीर कार्य को दूषित कर देती है। धोखाधड़ी और न्याय कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रवींद्र कुमार शर्मा और अन्य** (सुप्रा) और **रामेश्वर बनाम हरियाणा राज्य** (सुप्रा) के मामले में भी माना गया है। इस मामले में अधिनियम, 1996 की धारा 34 (2) प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(2):–**

(2) न्यायालय द्वारा मध्यस्थता निर्णय को केवल तभी रद्द किया जा सकता है, जब––

(क) आवेदन करने वाला पक्ष यह प्रमाण प्रस्तुत करता है कि––

(i) कोई पक्ष किसी अक्षमता से ग्रस्त था, या

(ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के अंतर्गत वैध नहीं है जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे रखा है या, उस पर उस समय लागू कानून के तहत कोई संकेत न होने पर; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की समुचित सूचना नहीं दी गई थी या वह अन्यथा अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था; या

(iv) मध्यस्थता निर्णय किसी ऐसे विवाद से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है या उसके अंतर्गत नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं:

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को उन मामलों से अलग किया जा सकता है जो इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो मध्यस्थता पंचाट का केवल वह भाग अपास्त किया जा सकेगा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं; या

(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना या मध्यस्थ प्रक्रिया पक्षकारों की सहमति के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के किसी प्रावधान के विरोध में न हो, जिससे पक्षकार छूट नहीं सकते, या ऐसे समझौते के अभाव में, वह इस भाग के अनुरुप नहीं था; या

(ख) न्यायालय ने यह पाया --

(i) विवाद का विषय–वस्तु उस समय लागू कानून के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा निपटारे योग्य नहीं है, या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) मध्यस्थता निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

39. अधिनियम, 1996 की धारा 34(2) के तहत इस प्रावधान को सरलता से पढ़ने पर यह पता चलता है कि किसी मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने के लिए धोखाधड़ी और साजिश मौजूद आधारों में से एक नहीं है। यह **अंदी मुक्ता सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदस स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम वीआर रुदानी** (सुप्रा) के मामले में पैराग्राफ क्रमांक 17 और 19 में माना गया था, जो इस प्रकार हैं:–

"17. हालांकि, परमादेश का विशेषाधिकार रिट केवल सार्वजनिक अधिकारियों को सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए बाध्य करने तक ही सीमित है। उनके लिए 'सार्वजनिक प्राधिकरण' का अर्थ है प्रत्येक निकाय जो क़ानून द्वारा बनाया गया है – और जिसकी शक्तियाँ और कर्तव्य क़ानून द्वारा परिभाषित हैं। इसलिए सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस प्राधिकरण और वैधानिक उपक्रम और निगम, सभी 'सार्वजनिक प्राधिकरण' हैं। लेकिन हमारे उच्च न्यायालयों के लिए 'परमादेश की प्रकृति में' रिट जारी करने की कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को विशेषाधिकार रिट की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। यह अंग्रेजी कानून से एक आश्चर्यजनक बदलाव है। अनुच्छेद 226 के तहत , रिट "किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण" को जारी की जा सकती है। इसे "किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए" जारी किया जा सकता है।

40. **यूपी राज्य बनाम मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, यह माना गया है कि उच्च न्यायालय हमेशा रिट याचिका आदि दायर करने के बाद हुई घटनाओं और घटनाक्रम पर ध्यान दे सकता है, जो कि यहां मौजूद मामला है, कि उत्तरवादी बीआरपीएल द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि वही आवेदन स्पष्ट रूप से समय–बाधित है, इसलिए, उक्त उपाय अब उत्तरवादी बीआरपीएल के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर, यहाँ ऊपर इस बात पर पर्याप्त रूप से चर्चा की गई है कि वर्तमान मामले का तथ्य और परिदृश्य पूरी तरह से अलग है क्योंकि उत्तरवादी बीआरपीएल दावा कर रहा है कि सक्षम प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 12.02.2018 और आयुक्त का निर्णय दिनांक 11.07.2019 धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से प्रभावित होने के कारण अस्थाई और शून्य हैं। इसलिए, ऐसे मामले में, हमारा विचार है कि रिट याचिका सिविल संख्या 3355/2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत **एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड** (सुप्रा) **और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, करनाल बनाम मेसर्स मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करना अलग बात है। इसी तरह, सिविल अपील संख्या 3479/2022 **मेसर्स केलकर और केलकर बनाम मेसर्स होटल प्राइड एग्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 4.5.2022 को दिए गए निर्णय, और **भावेन कंस्ट्रक्शन बनाम कार्यकारी अभियंता सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड और अन्य** एआईआर ऑनलाइन 2021 एससी 6 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी अपीलकर्ता का भरोसा करना अलग है। ऊपर की गई चर्चाओं

के आधार पर वैकल्पिक उपाय के रूप में यद्यपि मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, यहां उत्तरवादी पक्ष की चुनौती धोखाधड़ी और षडयंत्र करने के अपराधों की कसौटी पर आधारित है, इसलिए, **अंडी मुक्ता सदुरु (**सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय का लाभ उठाया जा सकता है । प्रस्तुत किए गए विवरण और प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन, रिट याचिका (सिविल) संख्या 3355/2019 प्रस्तुत करने के बाद पेश किया गया था। इसलिए, यह नही कहा जा सकता कि तथ्य को छिपाया गया था। अपीलकर्ता पक्ष का **प्रदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा ऐसे मामले में कोई मार्गदर्शन नहीं देता है। इसी तरह, **यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम तरसेम सिंह और अन्य** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को भी इस मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भी अलग किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. अपीलकर्ता पक्ष द्वारा उठाया गया एक अन्य आधार यह है कि दिनांक 11.07.2019 के निर्णय को रद्द करने के लिए अतिरिक्त अनुतोष को शामिल करने के लिए संशोधन के लिए आवेदन को अंतिम सुनवाई के दौरान मंजूर किया गया था और चूंकि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था, इसलिए अतिरिक्त अनुतोष के लिए यह संशोधन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था। अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था।

42. डब्ल्यूपी (सी) नंबर 3355/2019 की स्थिरता के प्रश्न पर विचार करते समय ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है कि वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो भारत के संविधान

के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने की अनुमति देती हैं । यह सच है कि संशोधन के लिए आवेदन बाद में प्रस्तुत किया गया था और उस पर 29.10.2021 को निर्णय लिया गया था। एकल न्यायाधीश के आदेश में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उल्लेख किया गया है और न्यायालय ने उचित विचार–विमर्श के बाद संशोधन के लिए आवेदन को स्वीकार किया है। जिसके बाद दलीलें सुनी गईं और मामले को 16.11.2021 को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया और फिर 10.01.2022 को निर्णय सुनाया गया। इसलिए, ऐसा कोई मामला मौजूद नहीं है कि इस मामले में निर्णय देने से ठीक पहले संशोधन की प्रार्थना स्वीकार की गई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. चूंकि डब्ल्यूपीसी संख्या 3355/2019 की स्थिरता का प्रश्न तय हो चुका है, इसलिए यह आपत्ति कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत वैकल्पिक उपाय मौजूद था , निराधार है। **व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स** (सुप्रा) के मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित निर्णय दिया था:–

> **"15.** संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिनमें से कुछ यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावकारी उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन इस न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपाय को लगातार कम से कम तीन आकस्मिकताओं में बाधा के रूप में कार्य न करने के लिए माना गया है, अर्थात्, जहां रिट याचिका किसी भी मौलिक अधिकार

के प्रवर्तन के लिए दायर की गई हो या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर हो या किसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी गई हो। इस बिंदु पर बहुत सारे मामले हैं, लेकिन इस व्यभिचार के चक्र को काटने के लिए हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने निर्णयों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि वे अभी भी इस क्षेत्र मे अपना प्रभाव रखते हैं।"

44. अधिनियम, 1996 की धारा 34(2) न्यायालय को केवल मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को रद्द करने का अधिकार देती है और इसलिए, यह याचिका न्यायालय को अधिग्रहण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रारंभिक निर्णय को रद्द करने का अधिकार नहीं देती है। इसके अलावा, ऊपर की गई चर्चाओं के आधार पर, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता पक्ष द्वारा विद्वान एकल पीठ के समक्ष उठाई गई आपत्ति पर विचार किया गया है और निर्णय दिया गया है, इसलिए, फिर से उठाई गई इस आपत्ति पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रेलवे अधिनियम, 1989 (जिसे आगे "अधिनियम, 1989" कहा जाएगा) की धारा 20ए के तहत जारी दिनांक 21.08.2017 की अधिसूचना को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। कलेक्टर की रिपोर्ट में रेलवे स्टेशन के निर्माण के मामले में परियोजना के डायवर्जन का उल्लेख है। मामला केवल भारतीय दंड संहिता के दंडात्मक प्रावधानों के तहत विभिन्न अपराधों के कमीशन पर केंद्रित है । यदि दर्ज की गई एफआईआर की जांच की जाती है और आरोप–पत्र दाखिल किया जाता है, तो आपराधिक

न्यायालय को उन अपराधों के बारे में तथ्यों की जांच करने का अधिकार होगा जिनके लिए आरोप–पत्र दाखिल किया जा सकता है, इसलिए, अधिनियम, 1989 की धारा 20 ए के तहत जारी अधिसूचना की सत्यता की जांच करने का कोई कारण मौजूद नहीं होगा । मामले में जिन आरोपों की जांच की जानी है, वे मुख्य रूप से मुआवजे के आकलन की पद्धति पर आधारित होंगे क्योंकि आरोप है कि ऐसा केवल विशिष्ट लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था जो अपीलकर्ता हैं। जांच में इसकी सच्चाई या कमी का पता लगाया जाएगा और इसलिए, कोई कारण नहीं है कि आपराधिक न्यायालय अधिनियम, 1996 की धारा 20 ए के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की जांच करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि अपीलकर्ताओं, अर्थात् बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया से अधिग्रहित भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित थी। दिनांक 21.8.2017 की अधिसूचना द्वारा, अधिनियम, 1989 की धारा 20 ए के तहत रेलवे अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की मंशा को दर्शाते हुए नोटिस जारी किया गया था। पल्ली गांव में स्थित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण इस प्रकार है:–

जिले का नाम: बस्तर				जिले का नाम: बस्तर			
तालुका: जगदलपुर				तालुका: जगदलपुर			
क्रमांक	गांव का नाम	खसरा/ प्लाट नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	क्रमांक	गांव का नाम	खसरा/ प्लाट नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	पल्ली	123/1	1.990				
2	पल्ली	123/2	0.700				
3	पल्ली	123/3	0.120				
4	पल्ली	124	0.249				
5	पल्ली	125/1 से 125/29 , 125/31 , 125/33 से 125/37	1.040				
6	पल्ली	125/30	0.010				
7	पल्ली	125/32	0.020				
8	पल्ली	27	0.550				
		कुल	**4.679**				

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. तालिका में उल्लिखित उपरोक्त भूमियाँ ग्राम–पल्ली में स्थित दर्शाई गई हैं तथा इनका क्षेत्रफल भी हेक्टेयर में दर्शाया गया है। अपीलकर्ता पक्ष द्वारा जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि दिनांक 02.07.2014 की अधिसूचना द्वारा ग्राम–पल्ली को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया था, जिसके संबंध में इस न्यायालय का ध्यान वार्ड संख्या 37 अर्थात लोकमान्य तिलक वार्ड के विवरण की ओर आकृष्ट किया गया है। दिनांक 02.07.2014 की अधिसूचना की अनुसूची में

लोकमान्य तिलक वार्ड का वर्णन सुसंगत है, जो इस प्रकार है:–

"वार्ड क्रमांक 37 लोकमान्य तिलक वार्ड

उत्तर –	पल्ली नाका से प्रारंभ होकर धरमपुरा क्रमांक–2 से शंकर मंदिर होते हुए उर्वशी पांडे के घर तक।
पूर्व –	देवी गुडी एल आई सी रोड से शुरु चंपा बाई के घर तक ।
दक्षिण –	चंपा के घर से शुरु होकर शंकर मंदिर घर तक.
पश्चिम –	शंकर मंदिर से शुरु नरमुंड वाया रजत जैंती कंगोली वाया बी एम कोल्ड स्टोरेज पल्ली नाका तक।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

48. दिनांक 21.08.2017 की अधिसूचना में दिए गए विवरण से यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पल्ली गांव का क्षेत्र है। अपीलकर्ताओं का यह कहना कि पल्ली गांव को लोकमान्य तिलक वार्ड में शामिल किया गया है, 2.7.2014 की अधिसूचना में वार्ड संख्या 37 लोकमान्य तिलक वार्ड के बारे में दिए गए विवरण से परिलक्षित नहीं होता है। उत्तर के लिए दिए गए विवरण में उल्लेख किया गया है कि वार्ड पल्ली नाका से शुरू होता है, लेकिन पल्ली गांव का उल्लेख नहीं है। पूर्व और दक्षिण के बारे में दिए गए विवरण में पल्ली गांव का उल्लेख नहीं है और वार्ड के पश्चिमी क्षेत्र के बारे में दिए गए विवरण में भी केवल पल्ली नाका का उल्लेख है और इसमें किसी भी तरह से पल्ली गांव

का उल्लेख नहीं है।

49. उत्तरवादी पक्ष का तर्क यह है कि गांव–पल्ली को कभी भी नगरपालिका क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। अधिनियम, 1961 की धारा 5 ए राज्यपाल को अधिसूचना प्रकाशित करके किसी विशिष्ट क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में शामिल करने या उससे बाहर करने के आशय की घोषणा करने का अधिकार देती है। इस न्यायालय का ध्यान दिनांक 03.09.2002 की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें कहा गया कि यह अधिसूचना नगर परिषद जगदलपुर की नगरपालिका सीमा में निर्दिष्ट क्षेत्र को शामिल करने के लिए अंतिम अधिसूचना थी, जो इस प्रकार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रायपुर, 3 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 4719/18/2002 – छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से, अनुसूची–। में दी गई बस्तर जिले की नगर पालिका परिषद, जगदलपुर की सीमा के भीतर निम्नलिखित गांवों को शामिल करती है।

अनुसूची – ।

जगदलपुर नगर पालिका परिषद की सीमा के भीतर शामिल किए जाने वाले गांवों का विवरण।

(1)	ग्राम सरगीपाल तहसील जगदलपुर	सर्वे क्रमांक 5, 6, 7, 8,9, 10 और 3/1 जी का भाग क्षेत्रफल 33.600 हे. .
(2)	ग्राम कंगोली तहसील जगदलपुर	सर्वे क्रमांक 1 से 76, 80, 83 से 99 , 121/1, कुल क्षेत्रफल 616.85 हेक्टेयर ।
(3)	ग्राम धरमपुरा तहसील जगदलपुर	सर्वे क्रमांक 1 से 76, 80, 83 से 99 , 121/1, कुल क्षेत्रफल 616.85 हेक्टेयर ।
(4)	ग्राम अधनपुर तहसील जगदलपुर	सर्वे क्रमांक 1 से 139/1, 140 से 147, 150 से 152 एवं 149/1 का आंशिक भाग कुल क्षेत्रफल 279.989 हेक्टेयर ।
(5)	ग्राम पखनागुडा तहसील जगदलपुर	समस्त सर्वे क्रमांक 1 /1 से 97/3, कुल क्षेत्रफल 189.567 हेक्टेयर ।
(6)	ग्राम फ्रेजरपुर तहसील जगदलपुर	समस्त सर्वे क्रमांक 1/1 क से 27 तक कुल क्षेत्रफल 118.391 हेक्टेयर ।
(7)	ग्राम हाटकलचोरा तहसील जगदलपुर	समस्त सर्वे क्रमांक 1/1 क से 230 तक कुल क्षेत्रफल 270.725 हेक्टेयर ।
(8)	ग्राम कराकापाल तहसील जगदलपुर	सर्वे क्रमांक 1/1 से 26/1 तक, 133/1, 133/8, 135/1 , 134/1 कुल क्षेत्रफल 54.875 हेक्टेयर ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9)	ग्राम कोहकापाल तहसील जगदलपुर	समस्त सर्वे क्रमांक 1/2 से 95 तक कुल क्षेत्रफल 75.015 हेक्टेयर ।
(10)	ग्राम आसना तहसील जगदलपुर	सर्वे क्रमांक 266/330 से 628/1 कुल क्षेत्रफल 260.468 हेक्टेयर ।
(11)	ग्राम जगदलपुर खास तहसील जगदलपुर	समस्त सर्वे क्रमांक 1 से 146/35 तक कुल क्षेत्रफल 189.344 हेक्टेयर ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

50. यह अधिसूचना निश्चित रूप से ग्राम–पल्ली को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल नहीं करती है। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिनियम, 1961 की धारा 5–ए के तहत किसी अन्य अधिसूचना के बारे में इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है , जिसमें ग्राम पल्ली को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया हो। अपीलकर्ताओं के पक्ष का तर्क, कि अधिनियम , 1961 की धारा 29 के तहत जारी दिनांक 02.07.2014 की अधिसूचना ग्राम–पल्ली को नगरपालिका क्षेत्र में दर्शाती है, वार्ड क्रमांक 37 अर्थात लोकमान्य तिलक वार्ड जगदलपुर के संबंध में दिए गए विवरण से इसकी पुष्ट नहीं होती है। अपीलकर्ताओं के पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कि अधिनियम, 1961 की धारा 29 के तहत अधिसूचना में प्रत्येक नगरपालिका के लिए गठित वार्ड के विस्तार का प्रावधान है, जिसका प्रभाव नगरपालिका क्षेत्र में उल्लिखित निर्दिष्ट क्षेत्र को शामिल करने का है।

51. नगरपालिका क्षेत्र को अधिनियम, 1961 की धारा 3(18) (क) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:–

"धारा 3 (18–क) – " नगरपालिका क्षेत्र" का तात्पर्य लघु नगरीय क्षेत्र या संक्रमणकालीन क्षेत्र से है, जैसा कि राज्यपाल इस अधिनियम की धारा 5 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ;"

52. यह प्रावधान अधिनियम, 1961 की केवल धारा 5 को संदर्भित करता है तथा अधिनियम, 1961 की धारा 5–ए, 1994 के संशोधन द्वारा लाया गया है। नगरपालिका क्षेत्र की परिभाषा में अधिनियम, 1961 की धारा 29 का उल्लेख नहीं है। अधिनियम, 1961 की धारा 29 निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[29. वार्डों की संख्या और विस्तार का निर्धारण तथा निर्वाचनों का संचालन।–(1) राज्य सरकार समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक नगरपालिका के लिए गठित किए जाने वाले वार्डों की संख्या और विस्तार का निर्धारण करेगी:

बशर्ते कि वार्डों की कुल संख्या चालीस से अधिक और पंद्रह से कम नहीं होगी।

(2) प्रत्येक वार्ड से केवल एक पार्षद चुना जाएगा।

(3) वार्डों का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, जहां तक संभव हो, सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक समान हो तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र सघन हो।

(4) जैसे ही किसी नगरपालिका के वार्डों का गठन पूरा हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा इसकी रिपोर्ट राज्य

निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।

(5) 1[* * *]

(6) 1[* * *]

53. अधिनियम, 1961 की धारा 29 पर चर्चा या व्याख्या करना प्रासंगिक नहीं है, चूँकि यह न्यायालय पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि 02.07.2014 की अधिसूचना में ग्राम पल्ली को शामिल करने का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 29 के तहत अधिसूचित किया गया था और इसके अलावा, इसे 03.09.2002 की अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था। इस तरह की कोई अन्य अधिसूचना इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है। जैसा कि उत्तरवादियों के पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पल्ली नाका को पल्ली गांव के रूप में नहीं पहचाना जाना चाहिए। यह देखा गया है कि पल्ली नाका सड़क पार करने के लिए एक विशेष बिंदु है जिसमें एक अवरोध है और इसलिए, पल्ली नाका को किसी भी तरह से पल्ली गांव के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

54. अधिनियम, 1961 की धारा 6 में अधिनियम, 1961 की धारा 5 या धारा 5–ए के तहत अधिसूचना के प्रकाशन का प्रावधान है। अधिनियम, 1961 की धारा 7 में प्रावधान है कि नगरपालिका क्षेत्र की स्थापना और पंचायत क्षेत्र के समावेश के बाद, ऐसा निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में अस्तित्व में नहीं रहेगा।

55. प्रतिवादी पक्ष ने दिनांक 02.07.2014 की अधिसूचना का हवाला दिया है, जो ग्राम पंचायतों के गठन के

संबंध में अधिसूचना है। क्रमांक 23 में ग्राम पंचायत– कुमरावंड का उल्लेख है, जिसमें कुमरावंड और पल्ली गांव शामिल हैं। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:–

"कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

बस्तर, दिनांक 21 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक/482/पंचायत/2014–15–छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ –1–11– 95–22– पं – 02, दिनांक 23 फरवरी 1999 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 129 ख (1) के प्रावधानों के अधीन में अंकित आनंद, कलेक्टर, जिला बस्तर संलग्न सारणी (जिसे, इसके पश्चात् "सारणी " कहा गया है) के स्तांभ (4) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समुह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (5) में दर्शायी गई है, सारणी के स्तंभ(3)में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राम " के रूप मे विनिर्दिष्ट करता हूँ तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् व्दारा प्रकाशित किया जाता है।

इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा, इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

क्रमांक 23 इस प्रकार है:–

23	कुम्हरावंड	कुम्हरावंड	912	2
		पल्ली	618	2
		योग	1530	

56. हालांकि इस अधिसूचना में पंचायत क्षेत्र में शामिल भूमि का उल्लेख नहीं है, लेकिन पंचायत क्षेत्र में गांव–पल्ली को शामिल करना यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि गांव–पल्ली ग्राम पंचायत कुमरावंद का एक गांव है। उत्तरवादियों के पक्ष का यह कहना है कि अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीदी गई संबंधित भूमि को संबंधित बिक्री विलेखों में कृषि भूमि के रूप में दिखाया गया है और उनके क्षेत्रों का उल्लेख हेक्टेयर में किया गया है, जिसे अपीलकर्ताओं के पक्ष ने अस्वीकार नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

57. कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयक एवं अधीक्षक (मुद्रांक), रायपुर द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु जारी दिशा–निर्देश में वार्ड क्रमांक 37 के संबंध में बाजार मूल्य अंकित है, जो निम्नानुसार है:–

प्रारूप –एक

(नियम–7 देखिये)

नगरीय संपत्तियों के बाजार मूल्य मार्गदर्शिक सिद्धांत वर्ष 2017–2018

नगर पालिकनिगम–जगदलपुर

क्र.	वार्ड का नाम	मोहल्ला/लोनी/सोसायटी/मार्ग का नाम)	(दर प्रतिवर्गमीटर रुपये मे भूखंड का मूल्य)	
			संपत्ति मुख्य मार्ग पर स्थित होने की स्थिति मे 20 मीटर तक दर	संपत्ति मुख्य मार्ग से अंदर होने पर दर (जिसमें मुख्य मार्ग से 20 मीटर पश्चात की दर भी सम्मिलित हैं
37	लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक 37	1.एम.जी.एम.स्कूल जाने का रास्ता से पल्ली नाका तक	13800	....
		2. पल्ली नाका से गिट्टी खदान तक	6000	8500
		3. अशोका लाईफ स्टाईल/नागवंषी रेसीडेन्सी /निलीमा स्पंदन (पल्ली)	...	11300
		4. गणेश चौक से रायल गार्डन तक (नागवंषी	7300	5400

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		रेसीडेन्सी)		
		5. गणेश चौक से गिट्टी खदान जाने वाली रोड तक	7100	5300

58. इसमें "नागवंशी रेजीडेंसी" और "नीलिमा स्पंदन" का उल्लेख है, जिसके संबंध में अपीलकर्ताओं के अपने दावे हैं। हालाँकि, इन संपत्तियों को सड़क से 20 मीटर से आगे मौजूद दिखाया गया है।

59. इसके अलावा इसी दिशा–निर्देश में प्रारूप–III के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल जगदलपुर में ग्राम–पल्ली का उल्लेख है। क्रमांक 2 पर प्रासंगिक प्रविष्टि इस प्रकार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रारूप –तीन

(नियम–7 देखिये)

कृषि भूमि के लिये बाजार मूल्य मार्गदर्शिक सिद्धांत वर्ष 2017–2018

तहसील–जगदलपुर जिला–बस्तर

प.ह.नं.	ग्राम का नाम	सभी किस्म मुख्य मार्ग पर स्थित	सिंचित	असिंचित	(दर प्रति हेक्टेयर मे) कृषि भूमि के टुकड़े 500 वर्गमीटर तक	
					सड़क से 20	सड़क से 20

					मीटर तक	मीटर बाद
1	....	....	....	....	....	....
2.	घाटपदमपुर	4795500	3294000		3212	2188
	कुम्हरावंड	5061000	3294000		2891	2188
	पल्ली	5061000	3294000		2891	2188

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

60. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 12.02.2018 के सूक्ष्म अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात का कोई उल्लेख नही है कि अपीलार्थी बली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया से अधिग्रहित की गई भूमि जगदलपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 37 के अंतर्गत थी और यह भूमि ग्राम–पल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित नहीं थी।

61. अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के तहत अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 में ग्राम–पल्ली में स्थित भूमि का विवरण उल्लेखित है, जिसके संबंध में अधिग्रहण का इरादा अधिसूचित किया गया था। स्थानीय समाचार पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, संबंधित व्यक्तियों को अधिनियम, 1989 की धारा 20डी के तहत प्रावधान के अनुसार आपत्ति उठाने की स्वतंत्रता है, जो अधिनियम, 1989

की धारा 20ए के तहत प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जानी थी। अधिनियम, 1989 की धारा 20–डी की उप– धारा 2 में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा और आवश्यकतानुसार जांच करेगा और आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। इसके बाद, अधिनियम, 1989 की धारा 20–ई के तहत अधिसूचना जारी की जानी है। अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत अधिसूचना 21.12.2017 को जारी की गई थी। इस अधिसूचना का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

बिलासपुर, 21 दिसम्बर, 2017

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20E के अंतर्गत अधिसूचना

SO3000(E.) – जबकि भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या SO2856 (ई), जो भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 31.08.2017 को भाग–II खंड 3 , उप खंड (ii), मे प्रकाशित हुई, जिसे इसके पश्चात रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20A की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिसूचना कहा गया है, केंद्र सरकार ने विशेष रेलवे परियोजना अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य मे दल्लीराजहरा–जगदलपुर मे रावघाट–जगदलपुर (140 किमी.) नामक विशेष रेल्वे परियोजना के निष्पादन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न

अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की है।

और चूँकि उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र, नव भारत (हिन्दी) बस्तर संस्करण मे दिनांक 23–09–2017 को एवं दण्डकारण्य समाचार (हिन्दी) दिनांक 24.09.2017 को उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

और चूंकि, निर्धारित समयावधि में चार आपत्तियां प्राप्त हुई और सभी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

और, चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है; अब, अतः सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, 1989 की धारा 20ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्रीय सरकार एतद द्वारा घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा; और, इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अधिसूचना की क्रम संख्या 1, 2 और 5 में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निम्नानुसार हैं:–

अनुसूची

जिले का नाम: बस्तर

तालुका: जगदलपुर

क्रमांक	गांव का नाम	खसरा/ प्लाट नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि स्वामी का नाम
1	पल्ली	123/1	1.990	प्रा.	परती	बाली नाग वंशी पिता भूमि बटर नागवंशी जाति हुल्बा
2	पल्ली	123/2	0.700	प्रा.	परती	बाली नाग वंशी पिता भूमि बटर नागवंशी जाति हुल्बा
3.	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–
5	पल्ली	125/1 से 125/29, 125/31, 125/33 से 125/37	1.040	प्रा.	परती	श्रीमती नीलिमा पिता भूमि पिल्लू राम, बेल सरिया पति टीके रवि जाति हुलबा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

62. इससे पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण के इरादे की अधिसूचना के बाद अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं ने ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई कि उनसे अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि नहीं थी और यह नगर निगम/परिषद की सीमा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में स्थित थी। इसलिए, अधिनियम, 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना में अपीलकर्ताओं बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया से अधिग्रहित भूमि के बारे में कृषि भूमि के रूप में इस विवरण के साथ कि अधिग्रहित भूमि परती भूमि थी उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

63. अधिनियम, 1989 की धारा 20 एफ में मुआवजे की राशि के निर्धारण का प्रावधान है, जिसमें अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात, अधिनियम, 1989 की धारा 20 एफ की उपधारा (4) के तहत, हितबद्ध पक्षकार उपस्थित हो सकता है और अधिनियम, 1989 की धारा 20 एफ की धारा (5) के तहत , वह ऐसी भूमियों मे उसके संबंधित हित की प्रकृति के बारे में बयान दे सकते हैं, और अधिग्रहित संपत्ति के बाजार मूल्यांकन के संबंध मे नहीं, क्योंकि अधिनियम, 1989 की धारा 20 एफ (8) के अनुसार बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का निर्धारण करना सक्षम प्राधिकारी का कर्तव्य है । यहां मामला बिल्कुल अलग है। संबंधित अधिसूचनाओं और दस्तावेजों से पता चलता है कि ग्राम पल्ली को अधिनियम , 1989 की धारा 5 ए के तहत जारी किसी भी अधिसूचना के तहत कभी भी नगरपालिका क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था । अपीलकर्ता– बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया का दावा है कि 2017–18 तक दिशानिर्देशों में दिखाई गई भूमि अर्थात "नागवंशी रेजीडेंसी" और "नीलिमा

स्पंदन" अधिग्रहण के अधीन थी। इसके विपरीत, अधिनियम, 1989 की धारा 20 ए के तहत अधिसूचना और फिर अधिनियम, 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना , मे गांव–पल्ली से अधिग्रहित भूमि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो परती भूमि दर्शाया गया है, तथा उस पर कोई निर्माण मौजूद नहीं है। कलेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2019 की रिपोर्ट, जो अनुलग्नक पी–10 (डब्ल्यूपी(सी) क्रमांक 3355/2019 में) के रूप में दायर की गई है, में उल्लेख किया गया है कि गांव–पल्ली से सात व्यक्ति भूमि विस्थापित थे और निर्धारित कुल मुआवजा 99.07 करोड़ रुपये था, जिसमें से केवल दो भूमि विस्थापितों, जो अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया हैं, को कुल राशि में से 95.82 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। मुआवज़ा निर्धारण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप है, जिसमें विशेष उल्लेख है कि अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया से अधिग्रहित भूमि गाँव के क्षेत्र में स्थित थी। यह जाँच कलेक्टर जगदलपुर द्वारा गठित तीन सदस्यों की समिति द्वारा की गई थी, जो राजस्व विभाग के सदस्य भी हैं और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट अन्य तथ्यों के साथ प्रासंगिक है, जो इस रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष/आधार का समर्थन करती है, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। इसलिए, कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पक्ष में दिए गए विवादित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गये निष्कर्ष मे किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

64. अपीलार्थी – हीरालाल नायक द्वारा डब्ल्यू ए क्रं. 115/2022 में, अपीलार्थी – सियाराम कुर्रे द्वारा डब्ल्यू ए क्रं. 129/2022 में, और अपीलार्थी – कौशल कुमार ठाकुर द्वारा डब्ल्यू ए क्रं. 144/2022 में उठाए गए आधार यह हैं कि उन्होंने अपने में निहित शक्ति के का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। मुआवजे का निर्धारण सक्षम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार किया गया था तथा पंजीयन लिपिक – कौशल कुमार ठाकुर द्वारा 2017–2018 की गाइडलाइन के अनुसार गणना पत्रक उपलब्ध कराया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी – हीरालाल नायक ने दिनांक 12.02.2018 को निर्णय पारित किया, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया। उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी मुआवजे की राशि जमा नहीं की गई। अपीलार्थी – सियाराम कुर्रे तत्कालीन एसडीओ (राजस्व) थे, अपीलकर्ता – दीनदयाल मंडावी तत्कालीन तहसीलदार थे, अपीलकर्ता – अर्जुन श्रीवास्तव तत्कालीन राजस्व निरीक्षक थे और अपीलकर्ता – धरम नारायण साहू तत्कालीन हल्का पटवारी थे और उनका कहना है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधिसम्मत रूप से किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

65. अधिनियम, 1989 की धारा 186 रेलवे प्रशासन या रेलवे कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी सिविल कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बशर्ते कि ऐसे प्रशासन या लोक सेवक की कार्रवाई सद्भावनापूर्वक की गई हो। सद्भावना के बिंदु की जांच की जानी आवश्यक है और उसके बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या संबंधित लोक सेवक की कार्रवाई कर्तव्य के वैध अभ्यास पर सद्भावनापूर्वक की गई थी। चूंकि साजिश और धोखाधड़ी के संबंध में कई आरोप मौजूद हैं, इसलिए, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन आरोपों की जांच करना आवश्यक है कि क्या लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया था या नहीं और क्या लोक सेवक को अधिनियम, 1989 की धारा 186 के तहत छूट प्राप्त है?

66. प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं कलेक्टर के प्रतिवेदन

दिनांक 30.07.2019 में अनियमितताओं का विशिष्ट विवरण है एवं जिम्मेदारी तय की गई है। सर्वप्रथम यह बताया गया है कि पटवारी–धरम नारायण साहू ने राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर नीलिमा बेलसरिया एवं बली नागवंशी की भूमि को अलग–अलग खाता दर्शाया है, जबकि पूर्व में राजस्व अभिलेख में दोनों की भूमि अन्य के साथ संयुक्त खाता दर्शाई गई थी। प्रभारी उप पंजीयक कौशल कुमार ठाकुर ने सर्वप्रथम 30.01.2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अपीलार्थी बली नागवंशी एवं नीलिमा बेलसरिया की भूमि को एक खाता में दर्शाया था। तत्पश्चात द्वितीय प्रतिवेदन 31.01.2018 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इन अपीलकर्ताओं की भूमि को अलग–अलग खातों मे दर्शाया गया है। आरोप है कि राजस्व निरीक्षक–अर्जुन श्रीवास्तव, दीनदयाल मंडावी एवं सियाराम कुर्रे ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में मिलीभगत की है। प्रभारी उप पंजीयक कौशल कुमार ठाकुर द्वारा गणना पत्र उपलब्ध कराया गया था, तथा उसी के आधार पर अपीलार्थी बाली नागवंशी तथा नीलिमा बेलसारिया के पक्ष में मुआवजा निर्धारित किया गया है। अपीलार्थी हीरालाल नायक की जिम्मेदारी इस बिंदु पर तय की गई है कि उन्होंने अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मिलीभगत की तथा इस बात पर विचार नहीं किया कि केवल दो भू–विस्थापितों को अन्य भू–विस्थापितों की तुलना में अधिक मुआवजा मिल रहा है तथा इसी आधार पर इन अपीलकर्ताओं पर आपराधिक दायित्व आरोपित किया गया है, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपीलकर्ता जिन आधारों पर भरोसा कर रहे हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। रिट न्यायालय या यह अपीलीय न्यायालय आरोपों तथा आधारों के विवरण में नहीं जा सकता है, जो मौजूद हैं या अपीलकर्ताओं द्वारा अपने बचाव में उठाए गए आधार हैं। विद्वान एकल पीठ ने सही रूप से माना है कि इन अपीलकर्ताओं के आधार तथा बचाव पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है तथा दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच किए जाने की आवश्यकता है, तथा जांच के दौरान सच्चाई सामने आएगी। अतः इन कारणों से हमारा मत है कि इन अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधार रिट न्यायालय द्वारा विचार किए जाने योग्य नहीं हैं और इसी प्रकार इन रिट अपीलों में भी विचार किए जाने के लिये उपयुक्त नहीं हैं।

67. अपीलकर्ता – सुरेश बी. मताली और एवीआर मूर्ति, डब्ल्यूए संख्या 119/2022 में अपीलकर्ता, की दलीलों पर विचार किया जाता है कि कथित अपराध में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। यह सच है कि ये अपीलकर्ता मुआवज़ा निर्धारण में अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। कलेक्टर की 30.07.2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि रेल ट्रैक के सर्वेक्षण निर्धारण और निर्माण की जिम्मेदारी इरकॉन को दी गई थी। इरकॉन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) के साथ संयुक्त उद्यम में भागीदारों में से एक है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इरकॉन ने पल्ली गांव में रेलवे स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव रखने वाली परियोजना के डायवर्जन के लिए एक सर्वेक्षण किया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गई और ऐसी भूमि अधिग्रहित की गई जिसके कारण मुआवजे के भुगतान का बोझ बढ़ गया और इसलिए पल्ली गांव की भूमि अधिग्रहित कर ली गई, जिससे भारी मुआवजा निर्धारित करने में विसंगति हुई और अन्य भूमि विस्थापितों के लिए निर्धारित मुआवजे की तुलना में अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया के पक्ष में मुआवजा निर्धारित करने में भी भिन्नता रही। इस मामले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया केवल एक बार हुई है, जिसके लिए अधिसूचना रेल्वे अधिकारियों की भूमि अधिग्रहण करने की मंशा को दर्शाते हुए अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के तहत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना में अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया की भूमि शामिल थी इसके बाद, धारा 20 ई के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 21.12.2017 को अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसमें धारा 20 ए के तहत अधिसूचना में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया गया। इसलिए, ऐसा नहीं है कि बाद में कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया गया हो। संबंधित भूमि अधिग्रहण योजना में शुरू से ही शामिल थी।

68. अब प्रश्न यह है कि क्या ग्राम पल्ली में रेलवे स्टेशन के निर्माण के मामले में परियोजना का डायवर्सन भूमि विस्थापितों के पक्ष में बढ़ा हुआ मुआवजा निर्धारित करने के कारणों में से एक है। हमारे विचार में, जब अधिग्रहित भूमि पहले से ही विशेष रेलवे परियोजना की निर्माण योजना में थी, तो योजना में परिवर्तन और ग्राम पल्ली में रेलवे स्टेशन का निर्माण या इसके लिये बिना किसी अतिरिक्त अधिग्रहण के कोई डायवर्सन, किसी भी तरह से मुआवजे के निर्धारण को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि मुआवजे का निर्धारण महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक (स्टांप), रायपुर द्वारा जारी दिशा–निर्देश 2017–18 के अनुसार किया जाना है, जिसमे केवल भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान है और किसी अन्य महत्व के आधार पर नहीं, उदाहरण के लिए, रेलवे स्टेशन का निर्माण।

69. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2018 की बारीकी से जांच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम–पल्ली में रेलवे स्टेशन के निर्माण के संबंध में और इस आधार पर मुआवजा निर्धारण के संबंध मे भी, कि ग्राम–पल्ली में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना है कोई उल्लेख नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है। इसी तरह, आयुक्त (मध्यस्थ) के आदेश दिनांक 11.07.2019 में भी अपीलकर्ता बाली नागवंशी को दिए गए मुआवजे में वृद्धि के लिए ऐसे किसी आधार का उल्लेख नहीं है और इसी तरह अपीलकर्ता– नीलिमा बेलसारिया द्वारा संदर्भित मध्यस्थता मामले में दिनांक 11.07.2019 को आदेश पारित किया गया है। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि मुआवजे के निर्धारण का आधार केवल भूमि का बाजार मूल्य था, जिसे कृषि भूमि, वाणिज्यिक मूल्य की भूमि, सड़क से सटी भूमि, शहरी भूमि और ग्रामीण भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि 2017–18 की गाइडलाइन में निर्धारित एकमात्र मानदंड हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि कलेक्टर की रिपोर्ट में सुरेश बी. मताली और अन्य अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के बारे में गलत निष्कर्ष निकाला गया है, अपीलकर्ताओं ने डब्ल्यू.ए. क्रमांक 119/2022 में कहा है कि रेलवे भूमि के सर्वेक्षण आदि के मामले में उनकी कार्रवाई अपीलकर्ताओं – बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया के पक्ष में मुआवजे के गलत निर्धारण का कारण रही है। रेलवे परियोजना का डायवर्जन, यदि कोई हुआ है, तो उस स्थिति में भी मुआवजे की संरचना, जिसे 2017–18 के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाना था, नहीं बदली जा सकती थी। दूसरी ओर, कलेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2019 और दिनांक 04.08.2019 को दर्ज की गई प्रथम सूचना पत्र में मुख्य तर्क केवल इतना है कि अपीलकर्ता बाली नागवंशी और नीलिमा बेलसारिया की भूमि का मूल्यांकन शहरी भूमि होने, जगदलपुर की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित होने और सड़क से सटे होने के आधार पर किया गया था, जो दर्ज की गई प्रथम सूचना पत्र में जांच का विषय है। इसलिए, हमारा मानना है कि प्रथम सूचना पत्र में इन अपीलकर्ताओं की आरोपी के रूप में संलिप्तता निराधार है। इसलिए, उनके खिलाफ प्रथम सूचना पत्र को रद्द करने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार किये

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाने योग्य है।

70. अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच करने का कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिनियम, 1989 में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इस मामले में कलेक्टर ने अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच नहीं की है। जांच मुआवजे के गलत निर्धारण के संबंध में की गई है, जिसके संबंध में रिपोर्ट पेश की गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 में प्रावधान है कि धारा मे निर्दिष्ट भा.दं.सं. के प्रावधानों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना देने के लिए बाध्य है। धारा 409 के तहत अपराध इस प्रावधान में शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

71. दं.प्र.सं. की धारा 154 में प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने वाली सूचना पुलिस थाने को उसमें दिए गए तरीके से दी जा सकती है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता में इन प्रावधानों के आधार पर और राजस्व जिले के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वह देखें कि कानून का शासन कायम रहे और अपराध के होने के बारे में कोई सूचना मिले तो ने पर उसका संज्ञान लेना उसका कर्तव्य है। हालांकि कलेक्टर ने समाचार प्रकाशन के आधार पर संज्ञान लिया था, लेकिन कलेक्टर ने केवल उस आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की कार्यवाही नहीं की। कलेक्टर द्वारा गठित एक टीम द्वारा जांच की गई और उक्त समिति द्वारा जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, इस मामले में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और इसके अलावा, जांच रिपोर्ट को रेलवे अधिकारियों या रेलवे

परियोजना के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। रिपोर्ट में रेलवे परियोजना के डायवर्जन का उल्लेख है, जिसके बारे में संदेह जताया गया है, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। इसलिए, हमारा मानना है कि कलेक्टर ने अपने अधिकार के तहत ही जांच के आदेश दिए हैं और इसलिए, 30.07.2019 की जांच रिपोर्ट में कोई कमी या अवैधता नहीं है।

72. निष्कर्ष के तौर पर, हमारे विचार से डब्ल्यू ए नं. 81 /2022, डब्ल्यू ए नं. 64 /2022, डब्ल्यू ए नं. 77 /2022, डब्ल्यू ए नं. 83 /2022, डब्ल्यू ए नं. 115/2022, डब्ल्यू ए नं. 129/2022 और डब्ल्यू ए नं. 144/2022 स्वीकार किये जाने योग्य नही हैं। इसलिए, उन्हें खारिज किया जाता है।

73. हालाँकि, 2022 का डब्लूए नंबर 119 स्वीकार किये जाने योग्य है, जिसे अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता सुरेश बी. मताली और एवीआर मूर्ति के खिलाफ अपराध क्रमांक 409/2019 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर दिनांक 04.08.2019 को रद्द किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एस डी/–
(अरुप कुमार गोस्वामी)
मुख्य न्यायाधीश

एस डी/–
(आर.सी.एस.सामंत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur